

कार्यालय, जिला शिक्षा प्रदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
(सभा शिक्षा अनिवार्य)

पत्रांक ६४० /

सेवा मे.

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक,

१९२३म ८०२ २०२१

कार्यालय का

मुख्यमंडप

विषय- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की घारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रत्यीकृति का प्रमाण-पत्र।

मुज़ा, दिनांक २३.०३.२७/०

सहाय्य/सहाय्य

आपके आवेदन-पत्र दिनांक १७-०२-२०२२ और उसके क्रम में उल्लिखित किए रखे गये एवं इस विद्यालय के लिये दोषे निरीक्षण के अलोक से आपके विद्यालय १९२३म ८०२ २०२१-२२ अंतर्गत अं०५ मुख्यमंडप का ५०० तक संचालन हेतु हीन धर्म २०१९-२० से २०२१-२२ अंदर के लिए औपचारिक प्रत्यीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त रथीकृति निम्न राती के अनुपालन के अधीन होगी:

- प्रत्यीकृति किसी भी परिस्थिति में लक्षा ४ तक की सीमा के दाहर सान्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलमक-०१) तथा विहार राज्य में प्रत्येक अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलमक-०२) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्ष १ में बच्चों की नामांकन की कुल समता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पछोस के कमज़ोर दर्द एवं अलम्भकारी समूह के बच्चों का करेगा। तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी मूर्त्ता तक प्रदान करेगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक छात्रों का संचालन हो रहा है, तो इस नामक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए भी किया जाएगा।
- कक्षिका-३ में उद्युक्त बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की घारा 12 की उम्रावार २ के अलोक में निर्दिष्ट राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की उम्रावारी राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से दैक्षण्य का सदारण करेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय के हातों की प्रकार का कौपिटेशन कीरा भी प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसकी माता-पिता एवं अधिकारक का स्कीमिंग टर्स्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उस प्रमाण-पत्र के अनुलक्षण नामांकन की विस्तृत ऊर्ध्वि व दाय तथा दाने, जाति, जन्म-स्थान अंदरी कारण द्वारा यह इसमें को किसी एक कारण से अदाव एवं इकाय नहीं कर सकते।

(८४)

7. शिक्षालय के उपर्युक्त संस्थानों के द्वारा दिए गए निम्नलिखित क्रम में कौन कौन है।
- किसी भी नवीनीकृत छात्रों को किसी भी छात्रों में जाता नहीं रखा जाएगा है किसी समाजिक दब्बा को प्रत्येक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकलते छिपा जाएगा।
 - किसी भी छात्रों जो किसी प्रकार का इरीरेक दब नहीं दिया जाएगा वह सान्तरिक्ष तक से प्रतापित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी छात्रों को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के दोष यरीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक छात्रों को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - कठिनीपन के अवधारणों के आलोक में दिक्षालय / नियम आवश्यकता वाले छात्रों का एमाराफ़त किया जाएगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपचारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम दोग्रहण की अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम की जारी होने के समय चर्चामान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम दोग्रहण नहीं धारित करते हैं, वे कु चर्चा के अंदर निर्धारित न्यूनतम दोग्रहण प्राप्त कर लेंगे।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपचारा 1 में ज्ञानान्वित शिक्षकों को दायित्व का निर्देशन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक मिशनी रत्न पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-प्रतिपादिति में रात्रिमास नहीं होगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं नानदेहों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नान्त है—
विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,
कुल निर्मित सेवा,
दोल के मैदान का हेत्र
वर्गकक्षों की कुल संख्या,
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मडार कक्ष,
दालक तथा वालिकाओं के लिए ऊत्तम-अलग बीमालय,
पेटजल की सुविधा,
मध्याह्न औजन के स्ट्री रसोई-घर
दामालहित पहुँच
किंवद्दन अधिगम सामग्री/ खेत-कूद उपकरण/ पुस्तकालय
11. कोई भी अप्रस्तीकृत दर्शक विद्यालय परिसर में या दाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य सरबनामें अथवा सैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा वैशाल दिकाल के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत रोलाईटी के द्वारा अद्यता किसी निर्धारित राम्य में लानू कानून के तहत मठित किसी परिवक द्वारा ले नायम से संबंधित होगा।
14. विद्यालय किसी वर्द्धक, इनूह अथवा घरेलूओं के वध अथवा किसी अन्य विहितों के द्वारा संबंधित नहीं होगा।

(3)

15. लेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण बाट्टे एकाउन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राधिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को मंजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवृत्ति प्रस्तीकृति कोड संख्या RT E/AIF/MU/2019-20/ 05 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का सवाच्छ बदलाव में इस कोड की कृपया अधिकत एवं उच्चत किया जाए।
17. निदेशक प्राधिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय समय पर भीग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के रहने से प्रतीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा बदलने की रुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईय को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के नियन्त्रण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे रुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक-III के रूप में सलग्न अन्य शर्तें।

(अनरेक्ट कुमार पाण्डेय)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्राप्ति एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना,

(डॉ. विमल लक्ष्मी)

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

१३/३/२०२०